भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3257
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा

†**3257 श्री सुनील कुमार:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया फाइनेंस में फंसे हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक पोर्टल खोला था और निवेशकों को सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा वापस पाने के लिए उक्त पोर्ट पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया था;
(ग) यदि हां, तो कितने निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला;
(घ) क्या सरकार या सेबी की बाकी लोगों को पैसा लौटाने की कोई योजना है; और
(ङ) शेष निवेशकों को उनका पैसा कब तक वापस मिलने की संभावना है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पकंज चौधरी)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.08.2012 के आदेश के अनुसरण में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रमोटरों और निदेशकों को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास कुल 25,781.37 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 13.02.2013 के कुर्की आदेशों के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक सेबी के पास कुल 15,775.50 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह भी निर्देश दिया कि वह एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के बॉन्डधारकों को भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का प्रतिपरीक्षण करने के उपरांत ब्याज सहित राशि वापस करे। तदनुसार, सेबी ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों के माध्यम से धन वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बी.एन. अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के आधार पर, सेबी ने 17,526 पात्र बॉन्डधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये की राशि की वापस लौटाई है।

सेबी ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.12.2021 को एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.09.2024 के आदेश के तहत यह निर्देश दिया है कि शेष मूल राशि 9 महीने की अवधि के भीतर सेबी के पास जमा कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के वर्सोवा में एक जमीन के टुकड़े के लिए विकास समझौता करने हेतु दो कंपनियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और समझौते के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और ऐसे आवेदन के साथ 1000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए 4 सप्ताह की अवधि का अंतिम अवसर दिया।

सेबी ने दिनांक 31.10.2018 को अपने आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) और उसके निदेशकों को अपने बॉन्डधारकों को एकत्रित धन वापस करने का निर्देश दिया। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णायाधीन है।

*****